129

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एस.एस. अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक-1079-चार/2008 विरूद्ध आदेश दिनांक 02-07-08 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का प्रकरण क्रमांक 666/अपील/2005-06

.....

1- बलीराम तनय चन्नू प्रसाद यादव

2- मानिक राम तनय काशीराम यादव

निवासीगण - ग्राम खिरवा, तहसील चितरंगी/देवसर

जिला-सीधी (म.प्र.)

----------आवेदकगण

विरूद्ध

1- शिव कुमार तनय रामवरण वैश्वार

2- रमाशंकर पिता रामकरण वैश्वार

निवासीगण- ग्राम खिरवा तहसील चितरंगी/देवसर

जिला-सीधी (म.प्र.)

----------अनावेदकगण

.....

श्री के. के. द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री आर. डी. शर्मा, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 20/4/2018 को पारित)

यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त

रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-07-08 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चितरंगी दल क्रमांक 04 के समक्ष प्रश्नाधीन आराजी पर भूमिस्वामी दर्ज किये जाने बावत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है, जहॉ सहायक बन्दोबस्त अधिकारी ने प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी घोषित करने का आदेश पारित किया गया है । इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 17-04-06 से स्वीकार की और सहायक बन्दोबस्त अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण द्वारा अपर आयुक्त रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जो आदेश दिनांक 02-07-08 के द्वारा स्वीकार की गई है। इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों के तर्क प्रस्तुत कर प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया गया है।

4/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत किये गये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी सिरमौर ने सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश को मात्र इस आधार पर निरस्त किया है कि अनावेदकगण को जो पटटा प्रदान किया गया था उसमें किसी सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं थे और न ही प्रकरण क्रमांक एवं आदेश दिनांक अंकित था । अपर आयुक्त द्वारा स्पष्ट निष्कर्ष निकाले गये है कि विधिवत इश्तहार का प्रकाशन कराकर आपत्ति प्राप्त करने के उपरांत राजस्व निरीक्षक ने मौका स्थल पंचनामा प्राप्त कर प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकगण का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज किया गया था ।

अनुविभागीय अधिकारी ने 8 वर्ष विलंब से प्रस्तुत अपील में इन महत्वपूर्ण बिन्दूओं को अनदेखा कर आवेदक की अपील को स्वीकार करने में त्रुटी की गई है, इस कारण अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के आदश को निरस्त कर सहायक बन्दोबस्त अधिकारी के आदेश को उचित माना है। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में कोई वैधानिक त्रुटी प्रकट नहीं होती ।

5/ उपरोक्त् विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02-07-08 विधिनुकूल होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस.एस. अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्प्रदेश
ग्वालियर,